





सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम – 530035

Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone 1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

<u>स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.02/2024 (निरीक्षक)</u> <u>Establishment Order (N.G.O) No. 02/2024 (Inspector)</u> <u>दिनांक 24 जनवरी 2024 Dated 24th January 2024</u>

निरीक्षक के संवर्ग में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक निम्न स्थानंतरण और तैनाती के आदेश दिए जाते हैं। The following transfers and postings in the cadre of Inspector are ordered with immediate effect and until further orders:-

क्र सं S1 No	अधिकारी का नाम (श्री / श्रीमती) Name of the Officer (Shri / Smt)	वर्तमात तैनाती स्थान Present Place of Posting	तैनात किया गया आयुक्तालय Commissionerate Posted to
1.	अभिषेक अगरवाल Abhishek Agarwal	गृह मंत्रालय, सीईपीआई कार्यालय, नई दिल्ली में प्रतिन्युक्ति से प्रत्यावर्तन पर On repatriation from Deputation at Ministry of Home Affairs, O/o CEPI, New Delhi	गुंट्र लेखा परीक्षा (विशाखपट्टणम में तैनाती के लिए) Guntur Audit (Stationed at
2.	हेमलता प्रभात Hemlatha Prabhat	गुंटूर लेखा परीक्षा Guntur Audit	Visakhapatnam) विशाखपट्टणम सीजीएसटी Visakhapatnam CGST

- 2. प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर मु.आ.का (वि.क्षे) में 23.01.2024 के पूर्वाहन में रिपोर्ट करने वाले सं क्र 1 के अधिकारी को अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 24.01.2024 के अपराहन में कार्यमुक्त किया जाता है। सं क्र 2 के अधिकारी को 02.02.2024 को या उससे पहले गुंटूर लेखा परीक्षा आयुक्तालय से कार्यमुक्त किया जाना है और उनकी कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के बारे में 05.02.2024 तक इस कार्यालय को सूचित करना है। Officer at Sl No.1 who has reported in CCO (VZ) in the forenoon of 23.01.2024 stands relieved in the afternoon of 24.01.2024 to enable him report at his new place of posting. Officer at Sl No. 2 is to be relieved by Guntur Audit Commissionerate latest by 02.02.2024 and date of relief/joining of the officer shall be intimated to this office by 05.02.2024.
- 3. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए । Necessary entries may be made in relevant records.
- 4. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.
- 5. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

(एम श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[फाईल GCCO/II/(3)/10/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी] [Issued from file GCCO/II/(3)/10/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM] सेवा में. / To

संबंधित व्यक्ति को। / The Individual

प्रतिलिपि: / Copy to:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर लेखा परीक्षा / हैदराबाद (संनिप्रा) आयुक्तालय।

- 2. भारत की शत्रु संपत्ति का संरक्षक (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली ।
- 3. म्.ले. अधिकारी/ आ.सं.अ विशाखपट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर लेखा परीक्षा आयुक्तालय ।
- 4. वे एवं ले अधिकारी विशाखपट्टणम।
- 5. सूचना पट्ट / वेबसाइट / स्टॉक फाइल
- 1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Guntur Audit / Hyderabad CGST (CCA) Commissionerates.
- 2. The Custodian of Enemy Property of India (Ministry of Home Affairs), New Delhi
- 3. CAO/DDO of Visakhapatnam CGST / Guntur Audit Commissionerates.
- 4. PAO Visakhapatnam
- 5. Notice Board/website/Stock file.